स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 231, दिनांक 21–09–2020

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 तस्कर गिरफ्तार, 978 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये) बरामद।

दिनांक 21–09–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर गिरफ्तार, 978 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– मोईन पुत्र अशहाक निवासी मुडईमा, थाना डिढ़ौली, जनपद अमरोहा।
2– रियाजुन पुत्र नजरूल निवासी मुडईमा, थाना डिढ़ौली, जनपद अमरोहा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगीः</u>

1– 978 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग 02 करोड़ रूपये)
2– 01 अदद कण्टेनर ट्रक–यू0पी0–21–सीएन–8313
3– 02 अदद मोबाइल
4– रू0 5,000/– नगद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान–</u>

दिनांक 21–09–2020 जनपद चन्दौली के थाना अलीनगर क्षेत्रान्तर्गत चकिया चौराहा के पास।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आरक्षी पुलिस अभय विक्रम सिंह एसटीएफ, फील्ड इकाई, वाराणसी को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक कण्टेनर ट्रक में भारी मात्रा में गॉजा बिहार की तरफ से जी0टी0 रोड से लाया जा रहा हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए निरीक्षक पुनित परिहार के नेतृत्व में निरीक्षक अरविन्द सिंह, उ0नि0 आलोक सिंह की एक टीम गठित कर नॉरकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर जनपद चन्दौली के थाना अलीनगर क्षेत्रान्तर्गत चकिया चौराहे के पास से 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि बरामद कण्टेनर ट्रक नं0–यू0पी0–21–सीएन–8313 शहनवाज निवासी नीली खेडी, थाना डिढौली, जनपद अमरोहा का है। उक्त कण्टेनर ट्रक में गॉजा छुपाकर तस्करी का काम किया जाता है। इस कण्टेनर ट्रक को सोनू पुत्र उस्मान निवासी नीली खेड़ी थाना, डिढ़ौली जनपद अमरोहा के कहने पर हमलोग गॉजा पहुचाने के लिये सलूर घाटी आन्ध्र प्रदेश लेकर गये थे। सोनू का एक आदमी पहले से ही सलूर घाटी पहुंच गया था, जिसके साथ मिलकर हम लोग गॉजा लोड कर मथुरा के लिये ले जा रहे। मथुरा पहुॅचने पर

सोनू हम लोगों से वहीं पर मिलता और जिसे देने के लिये बताता उसे हम लोग गांजा दे देते। हम लोगों को गॉजे की प्रति चक्कर सप्लाई के लिये किराये के अतिरिक्त 60 हजार रूपये मिलता था, जिसके लालच में आकर हम लोग यह गॉजा लेकर सप्लाई के लिये जा रहे थे।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो लखनऊ द्वारा एन0सी0बी0 केस क्राइम नं0– 28/2020 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।